न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—86/2021 (2021/378) वाद पत्र

उनवान

1—ग्राम पंचायत बागोलिया पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—उदी पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कमला पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पन्ना पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—बाबु पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—बालु पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मांगु पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—मांगीलाल पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रामचन्द्र पिता हीरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लीला पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—हरलाल पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—22.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की सीमा में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 372/4 रकबा 4 बिस्वा भूमि स्थित थी, जो बिलानाम आराजी संख्या 372मीन में से वादी को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी जो साबिक नक्शे में तरमीमात तत्समय की गई। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज देवा पिता किशना कुमावत के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजी संख्या 372/2 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित थी। साबिक नक्शे में वादी की साबिक आराजी संख्या 372/4 के दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ बिलानाम साबिक आराजी संख्या 372मीन की पूर्वी सीमा के पास तत्समय तरमीमात थी। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय से साबिक नम्बरान जो साबिक नक्शे मे तरमीमात थे, उसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं, और अपनी—अपनी भूमियों को उपयोग उपभोग कर रहे हैं। तहसील क्षेत्र रायपुर का नवीन भू—प्रबन्ध हुआ, जिसमें ग्राम बागोलिया में भी नवीन बन्दोबस्त की कार्यवाही संपादित की गई। उसमें वादी की साबिक आराज[illegible] बिस्वा के नवीन नम्बर 878 रकबा 0.05 हैक्ट तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा[illegible] साबिक आराजी संख्या 372/2 रकबा 3 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर [illegible] बिलानाम साबिक आराजी संख्या 372 मीन के नवीन नम्बर 881 [illegible] क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि व खसरा भूप्रबन्ध की प्रमाणित प्र[illegible] यां की प्रमाणित प्र[illegible] साथ प्रस्तुत हैं। जो अलग—अलग वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हैं। भू—प्र[illegible] अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने साबिक नम्बर एवं रकबा के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

किन्तु उक्त सभी नवीन नम्बरान को साबिक नम्बरान के अनुसार व मौके की स्थिति के अनुसार तरमीमात नहीं कर बिना किसी विधिक अधिकार के नवीन नम्बरान को साबिक नक्शे के विपरीत व मौके की स्थिति के विपरीत तरमीमात कर नवीन राजस्व रेकार्ड को बिगाड़ दिया, जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन कब्जे संबंधी विवाद बढ़ गये। जिससे राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं। दौराने भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने एवं कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक आदेश के व बिना किसी अधिकार के वादी की नवीन आराजी संख्या 878 को नवीन नक्शे में रास्ते के पास गलत तरीके से फीड करते हुए उसका नक्शा बिल्कुल छोटा कर दिया तथा उसके पास प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की नवीन आराजी संख्या 879 को भी गलत तरीके से फीड करे हुए उसका नक्शा बड़ा कर दिया जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का उस जगह कब्जा नहीं होकर मौके पर बिलानाम के रूप में जमीन पड़त पड़ी हुई है और जहां पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का कब्जा साबिक नक्शें अनुसार है वह भूमि बिलानाम दर्ज है। जिससे घोषणात्मक डिक्री के जरिये राजस्व नक्शें को दुरस्त करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। वर्तमान कब्जे अनुसार नवीन आराजी संख्या 879 के दक्षिण की तरफ वादी का कब्जा नवीन आराजी संख्या 881 पूर्वी सीमा से सटमा आता है, जिससे वादी ने विभिन्न व्यक्तियो को पटटे जारी कर रखे है जिसमें कब्जेअनुसार बिलानाम आराजी संख्या 881 में से 0.05 है0 रकबा वादी के नाम आबादी दर्ज होनी चाहिये तथा इसके नीचे दक्षिण की तरफ जहां प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का कब्जा बिलानाम आराजी संख्या 881 पर इसकी पूर्वी दीवार से सटमा 0.02 है0 भूमि पर जहां कब्जा है उनके नाम पर दर्ज होना चाहिये तथा इसके बदले वादी के नाम दर्ज आबादी की आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0 एवं प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 भूमि यानि 0.07 है0 भूमि बिलानाम दर्ज किया जाना चाहिए। साबिक रेकार्ड के अनुसार बिलानाम आराजी संख्या 881 रकबा 1.50 है0 मे से 0.43 है0 भूमि जो नदी की आराजी संख्या 837 से सटमा है। किस्म नदी दर्ज करने एवं शेष भूमि को साबिक किस्म के अनुसार उसर दर्ज करने के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा ही पारित किये गये है। उक्त राजस्व रेकार्ड के दौरान भू प्रबन्ध परिवर्तन हो जाने से प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.11.2021 को नये सिरे से जहां उनकी नवीन आराजी संख्या 879 को गलत तरीके से और गैर कानुनी रूप से फीड कर दिया जिसका नाजायज लाभ उठाकर वहां पर नये सिरें से पत्थर डालना शुरू कर दिया व आवागमन को अवरूद्व कर दिया जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि जारी फरमाई जावे कि ग्राम बागोलिया की आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0 एवं आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण के बजाय बिलानाम दर्ज किया जावे इसके बदले बिलानाम आराजी संख्या 881 रकबा 1.43 है0 किस्म उसर मे से वादी का कब्जा जो वर्तमान में आराजी संख्या 879 के दक्षिण की तरफ और आराजी संख्या 881 की पूर्वी सीमा से सटमा 0.05 है0 भूमि पर है वह वादी के नाम पर तथा इसके नीचे दक्षिण की तरफ बिलानाम आराजी संख्या 881 पर इसकी पूर्वी सीमा से सटमा 0.02 है0 भूमि जहां पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का कब्जा है वह भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के नाम पर करवाई जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि पर नये सिरे से प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करें। वादी को उसके द्वारा दिये गये पट्टेधारियो को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें और भूमि को रहन बय बक्षीस या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करें, तथा भूमियो को खुर्द बुर्द नहीं करें तथा किसी भी प्रकार अवरोध पैदा नहीं करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने अवगत कराया कि इसी आराजियात से सम्बधित एक और प्रकरण वादीगणो के द्वारा 72/2021 न्यायालय में विचाराधीन है उस वाद और इस वाद को दोनो को संयुक्त करते हुए मौका स्थिति के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 72/2021 में वर्णित वाद का विवरण जो इस वाद का जवाब के रूप में प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया कि ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के दादा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 पिताजी देवा पिता किशना कुमावत के नाम खाता संख्या 92 में साबिक आराजी संख्या 270/1(क) रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 368/1 रकबा 03 बिस्वा, 368/3 रकबा 10 बिस्वा, 266/2 रकबा 2 बीघा, 269 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 273/3 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 286/1ख रकबा 11 बिस्वा, 372/2 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी अधिकारों से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिसकी साबिक जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 की नकल वादपत्र के साथ हमराह प्रस्तुत है। दोराने बन्दोबस्त नवीन नम्बर कायम हुए जो इस प्रकार है। आराजी संख्या 628 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 629 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 638 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 639 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 640 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 641 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 650 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 652 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 653 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 689 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 690 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 825 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 857 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 2.84 है0 भूमि है। उक्त आराजियात दौराने सेटलमेंट प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 के दादा जी व प्रतिवादी संख्या–5 लगायत 8 के पिताजी देवा पिता किशना कुमावत के नाम दर्ज हुई व उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों में दर्ज हो गई व प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात पर साबिक आराजियात के रकबे अनुसार ही काबिज होकर शांतीपूर्वक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं. वाद वर्णित आराजियात की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2076 की नकल एवं मिलान खसरे की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ हमराह प्रस्तुत है। दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने वाद वर्णित साबिक आराजी नम्बर 372/2 रकबा 03 बिस्वा के नवीन नम्बर 879 रकबा 0.020 हेक्टेयर भूमि कायम करने में भारी भूल एवं गौर लापरवाही कारित की व दौराने बन्दोबस्त सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा साबिक आराजी नम्बर 372/2 का रकबा पूर्वानुसार दर्ज नहीं कर 03 बिस्वा [illegible] तौर दर्ज कर दिये गये एवं साबिक आराजी नम्बर 372/2 के पूर्वी दिशा में [illegible] साबिक आराजी नम्बर 372/4 का रकबा 04 बिस्वा के नवीन आराजी [illegible] 0.05 हेक्टेयर कायम कर दिया, इस प्रकार प्रतिवादीगण के [illegible] का रकबा 03 बिस्वा का नवीन नम्बर में 0.0324 हेक्टेयर रक[illegible]हिए, परन्तु राजस्व अधिकारियों की गौर लापरवाही से उक्त वाद वर्णित आराजियात का रकबा कम कर उक्त आराजियात के पूर्वी दिशा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 372/4 के नवीन नम्बर 878 कायम कर रकबा बढ़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

दिया वादपत्र के साथ वाद वर्णित आराजियात का साबिक एवं नवीन नक्शा व मिलान क्षेत्रफल की नकल हमराह वादपत्र प्रस्तुत है। उक्त वादपत्र में आगे नवीन आराजी संख्या 879 को वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादी प्रतिवादीगण की उक्त आराजियात पर आये व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही कब्जा रखने हेतु कहा व अतिरिक्त हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी जिस पर प्रतिवादीगण को वादपत्र पेश करने की नोबत आयी। अतः प्रतिवादीगण की सादर प्रार्थना है कि वाद अनुसार वादीगण के खातेदारी अधिकारो की ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर में स्थित हाल आराजी संख्या 879 का रकबा उनके साबिक आराजी संख्या 372 / 2 रकबा 3 बिस्वा की जगह 2 बिस्वा गलत तौर पर दर्ज कर दिया जिससे नवीन आराजी संख्या 879 का रकबा साबिक आराजी संख्या 372 / 2 के रकबे को 3 बिस्वा अनुसार बढ़ा इन्द्राज दुरस्ती कर प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी इस आशय कि फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी 879 से प्रतिवादीगण को उनके हक—अधिकारो की भूमि से वछिंत नही करे व प्रतिवादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करें वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादवर्णित आराजियात से सम्बंधित न्यायालय हाजा में अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 72 / 2021 होकर दोनो पत्रावलियो में न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर मौका स्थिति अनुसार प्रकरणो का निस्तारण किया जावे जिस पर प्रकरण संख्या 72 / 2021 एवं 86 / 2021 का मौका निरीक्षण किया गया। मौका स्थिति का पर्चा मौका बनाया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में वर्णित आराजियात की मौका स्थिति का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया कि साबिक आराजी संख्या 372 / 2 के नवीन नम्बर 879 रकबा 0.02 है0 एवं 372 / 4 नवीन नम्बर 878 रकबा 0.05 है0 बनाये गये। इससे लगती हुई आराजी संख्या 881 दर्ज किये गये। मौके पर मौका स्थिति का अवलोकन करने एवं उपस्थित पक्षकारान एवं मौतबिरान से पुछताछ करने पर पाया कि आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज होकर खातेदार द्वारा पत्थर डाल रखे है राजस्व नक्शे में उक्त आराजी की नक्शे की आकृति 0.04 है0 बनती है इस आराजी में मौके पर एक आम रास्ता भी गांव से दक्षिण की ओर जा रहा है जो इस आराजी की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे निकल रहा है। आराजी संख्या 879 की पूर्वी दिशा की ओर आराजी संख्या 878 एवं 952 है जिस पर मौके पर भैरूलाल पिता भुरा कुमावत वगैरा काबिज है जो आराजी संख्या 952 के खातेदार है। इस आराजी की नक्शा आकृति में भी तफावत है मौके पर उपस्थित मौतबीरान के अनुसार खातेदार काबिज होना जाहिर किया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान एवं उभयपक्ष के समक्ष विस्तृत चर्चा की गई। दोनो पक्ष एवं मौतबिरान द्वारा जाहिर किया कि मौका स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में जितना रकबा जिनके खाते में दर्ज है उतना उसी अनुसार एवं जहां आबादी क्षेत्र मानकर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर रखा है उसको उसी अनुसार राजस्व नक्शा अनुसार ... भी किसी में कोई विवाद नही रहे। मौके पर आराजी संख्या 879 एवं 880 के मध्य आम रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है जिसकी चौड़ाई 15 फीट है जिसमें पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा था उस दौरान माधुलाल पिता बालु कुमावत द्वारा कार्य रूकवा दिया गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

जिसको मौके पर राजस्व रेकार्ड की वस्तुस्थिति से अवगत कराने पर उक्त रास्ता आबादी भूमि में होकर जाना बताया गया जिस पर खातेदार द्वारा बताया कि अब मुझे उक्त रास्ते की जगह पर सीसी सड़क बनायी जाती है तो कोई आपत्ति नही है ग्राम पंचायत चाहे उस जगह सड़क बनाये। मौके पर विचाराधीन प्रकरण के वादी एंव प्रतिवादी आम सहमति व्यक्त की गई कि आज मौके पर राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति अनुसार मौके पर नपती कर आराजी संख्या 879 की पश्चिमी मेड़ में जो रास्ता 15 फीट का स्थित है एवं आराजी संख्या 879 के दक्षिण की तरफ जो मौके पर रोड़ी पड़ी हुई है वो रकबा खातेदार का नही होकर आबादी का रकबा है जिसमें भविष्य में 879 के खातेदार को कोई ऐतराज नही रहेगा। आराजी संख्या 879 के खातेदार का रकबा 0.02 है0 (जो 20 मीटर उत्तर से दक्षिण व 10 मीटर पूर्व से पश्चिम की ओर रहेगा) भूमि रेकार्ड अनुसार है जो बदस्तुर रहेगा।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड के अनुसार साबिक आराजी संख्या 372/2 एवं 372/4 का साबिक नक्शे का रेकार्ड पेश किया जो स्पष्ट नही है भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिक खसरा नम्बरान में आंवटीयो का आवटिंत खसरा नम्बर में जहां मौके पर कब्जा होता है उसी अनुसार राजस्व नक्शे में आवंटी के नाम तरमीम की जाकर नवीन नम्बर दिया जाता है। इस प्रकरण में मौके पर आराजी संख्या 879 के खातेदार के कब्जे को ध्यान में रखते हुए भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर दिये गये है जो सही है किन्तु नक्शे की आकृति राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.02 है0 के मुकाबले नक्शा ट्रेस की आकृति 0.04 है0 की बनाई गई है जो रेकार्ड ऑफ राईट्स जमाबन्दी के मुकाबले 0.02 है0 रकबे का ट्रेस बढा दिया गया है जो उचित नही है मौके पर बढ़ा हुआ रकबा रास्ते के रूप में एवं आबादी के रूप में काम आ रहा है। आराजी संख्या 878 राजस्व रेकार्ड में आबादी होकर रकबा 0.05 है0 दर्शा रखा है किन्तु आराजी संख्या 878 की नक्शा आकृति जहां दर्शा रखी है उस जगह आबादी नही होकर आराजी संख्या 952 के खातेदारान का कब्जा है। इस रकबे को आराजी संख्या 879 के नक्शे में एवं इससे पश्चिम एवं दक्षिण की ओर आराजी संख्या 881 में सम्मिलित कर दिया गया है जहां मौके पर पिछे पड़ौसी मकान मालिक द्वारा रोड़ी डाल रखी है एवं पक्का निर्माण है उक्त रकबे को आबादी में शुमार करने पर आराजी संख्या 878 का रकबा पूर्ण होता है। आराजी संख्या 879 के बढ़े हुए रकबे पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग को आबादी में शुमार करने पर खातेदार को कोई आपत्ति नही होना मौके पर जाहिर किया है। मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे को दुरस्त किये जाने से राजस्व नक्शा एवं मौका स्थिति में एकरूपता रहेगी।

इस प्रकरण में वादी द्वारा यह रिलीफ चाही गई कि आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0, 879 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि को वादी एवं प्रतिवादी के बजाय बिलानाम दर्ज किया जावे इसके बदले बिलानाम आराजी संख्या 881 रकबा 1.50 है0 मे फीट किया जावे जो वादी का कथन रेकार्ड और मौके के विपरीत होने से उचित नही है चुंकि प्रतिवादीगणो को साबिक [illegible] 3 बिस्वा भूमि आंवटित हुई और दौराने भू प्रबन्ध के प्रतिवादीगणो का कब्जा [illegible] संख्या 372 में जहां था उसी जगह नवीन नम्बर 879 रकबा 0.02 है0 दर्ज करते हुए प्रति[illegible] के नाम पर दर्ज किया गया है जबकि प्रतिवादीगणो के साबिक रकबा 3 बिस्वा के [illegible] मौके पर 0.02 है0 पर ही कब्जा होने से 0.02 है0 भूमि नाम दर्ज [illegible] का एवं रकबा परिवर्तन की कोई गुजांईश नही है। मौके पर ग्रामवासियान द्वारा आराजी संख्या 880 एवं 879 के मध्य स्थित जिस रास्ते का उपयोग किया जा रहा है वह रास्ता वादी की आराजी संख्या 878 का भाग है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

और आराजी संख्या 879 के दक्षिण की तरफ जो रकबा रोड़ी का एवं पास में पड़त एवं निर्माण है वो भी इसी आराजी संख्या 878 आबादी का भाग है। **वादी का यह कथन स्वीकार योग्य नही है कि आराजी संख्या 878 एवं 879 के रकबे को बिलानाम दर्ज कर उक्त खातेदारान का रकबे को आराजी संख्या 881 में फीट किया जावे।** जहां तक वादी के नाम आराजी संख्या 878 का रकबा राजस्व रेकार्ड 0.05 है0 दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 878 की आकृति का रकबा बरारी किया जाता है तो 0.03 है0 ही बनता है और वहां भी वादी का कब्जा नही होकर कर आराजी संख्या 952 के खातेदरान का कब्जा है। अर्थात जहां पर आराजी संख्या 878 की तरमीम कर रखी है वो भाग आराजी संख्या 952 का होने से मौके पर कब्जा भी आराजी संख्या 952 के खातेदारो का ही है। आराजी संख्या 952 में आराजी संख्या 878 के भाग को शुमार करने पर आराजी संख्या 952 का रकबा राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही रखते हुए मौके के अनुसार तरमीम संशोधित की जावें और आराजी संख्या 952 में बढ़े हुए रकबे को दक्षिणी पश्चिमी भाग की तरफ एवं आराजी संख्या 879 के पश्चिम एवं दक्षिण की तरफ अटेच करते हुए 878 की तरमीम की जाने पर रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में एकरूपता रहेगी। आराजी संख्या 881 का रकबा भी रेकार्ड के मुकाबले जांच कर बेशी रकबा 879 के दक्षिण की तरफ 878 का भाग मानते हुए नक्शे की तरमीम की जावे।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादी के आराजी संख्या 878 का रकबा 0.05 है0 जमाबन्दी में दर्ज अनुसार राजस्व नक्शे में मौका .स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने की सीमा तक वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोलिया की आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0 भूमि को राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 879 का रकबा 0.02 है0 के पश्चिमी सीमा के सहारे 15 फीट चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए आराजी संख्या 879 के दक्षिण की ओर जहां रोड़ी व पड़त भूमि तथा पक्का निर्माण की भूमि को आराजी संख्या 878 का भाग मानते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे एवं वर्तमान आराजी संख्या 878 को जंहा दर्शा रखा है उसको आराजी संख्या 952 का भाग मानते हुए आराजी संख्या 952 के नक्शे को राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की सीमा तक संशोधित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अपनी खातेदारी आराजी संख्या 879 में दर्ज रकबा 0.02 है0 भूमि से अधिक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित रास्ते एवं दक्षिण में स्थित आबादी भूमि में किसी प्रकार से दखल नही करे एवं इन्ही आराजियात से सम्बधित प्रकरण 72/2021 भी इन्ही पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है जिसका निर्णय भी आपसी राजीनामे अनुसार होने से अलग से लिखाया गया है जिससे भी दोनो पक्ष पांबद रहेंगे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

22/3/2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–86 / 2021 (2021 / 378) वाद पत्र

उनवान

1–ग्राम पंचायत बागोलिया पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–उदी पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कमला पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–पन्ना पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–बाबु पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–बालु पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–मांगु पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–मांगीलाल पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–रामचन्द्र पिता हीरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–लीला पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–हरलाल पिता देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोलिया की आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0 भूमि को राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 879 का रकबा 0.02 है0 के पश्चिमी सीमा के सहारे 15 फीट चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए आराजी संख्या 879 के दक्षिण की ओर जहां रोड़ी व पड़त भूमि तथा पक्का निर्माण की भूमि को आराजी संख्या 878 का भाग मानते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे एवं वर्तमान आराजी संख्या 878 को जंहा दर्शा रखा है उसको आराजी संख्या 952 का भाग मानते हुए आराजी संख्या 952 के नक्शे को राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की सीमा तक संशोधित किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अपनी खातेदारी आराजी संख्या 879 में दर्ज रकबा 0.02 है0 भूमि से अधिक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित रास्ते एवं दक्षिण में स्थित आबादी भूमि में किसी प्रकार से दखल नही करे। इन्ही आराजियात से सम्बधित प्रकरण 72 / 2021 भी इन्ही पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है जिसका निर्णय भी आपसी राजीनामे अनुसार होने से अलग से लिखाया गया है जिससे भी दोनो पक्ष पांबद रहेंगे।

वाद में डिक्री आज [illegible] मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 13:21:40 IST
Reason: SelfAttested

22/03/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा